[प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक मई 5, 1992 में प्रकाशित हुआ]

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 5, 1992

संख्या प. 2 (15) विधि–2/92.–राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 1992 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्या 17)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 1992 को प्राप्त हुई]

अजमेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. अजमेर विश्वविद्यालय का नाम-परिवर्तन.–(1) अजमेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित अजमेर विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "महर्षि दयानन्द सरस्वति विश्वविद्यालय" होगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी विलेख, लिखत या अन्य दस्तावेज में अजमेर विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को, इस अधिनियम द्वारा उसके यथा-परिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति किये गये निर्देश के रूप में पढ़ा जायेगा और उसी प्रकार उसका अर्थ लगाया जायेगा ।

मूल्य 0–70 पै.

(3) इस अधिनियम में की कोई बात उक्त विश्वविद्यालय की विद्यमान प्रास्थिति की निरन्तरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

3. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.–मूल अधिनियम को इसके पश्चात् "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987" के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 1 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) में, अभिव्यक्ति "अजमेर विश्वविद्यालय अधिनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 2 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(घ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के द्वारा तथा अधीन स्थापित महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।"।

6. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 3 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, अभिव्यक्ति "अजमेर विश्वविद्यालय" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

जे. पी. बंसल,
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 5, 1992.

No. F. 2(15) Vidhi/2/92.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Ajmer Vishvavidyalaya (Sanshodhán) Adhiniyam, 1992 (1992 Ka Adhiniyam Sankhyank-17):—

THE UNIVERSITY OF AJMER (AMENDMENT) ACT, 1992
(Act No. 17 of 1992.)

[Received the assent of the Governor on the 4th day of May, 1992).

An

Act

to amend the University of Ajmer Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the University of Ajmer (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall come into force at once.

2. **Change of name of the University of Ajmer.**—(1) The name of the University of Ajmer incorporated under the University of Ajmer Act, 1987 (Rajasthan Act No. 38 of 1987), hereinafter referred to as the principal Act, shall as from the date of commencement of this Act be the "Maharshi Dayanand Saraswati University".

(2) Any reference to the University of Ajmer in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other document shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. **Citation of the principal Act.**—The principal Act shall henceforth be cited as the "Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987".

4. **Amendment of section 1, Rajasthan Act No. 38 of 1987.**—In sub-section (1) of section 1 of the principal Act, for the expression "University of Ajmer Act", the expression "Maharshi Dayanand Saraswati University Act" shall be substituted.

5. **Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 38 of 1987.**—For clause (s) of section 2 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:—

"(s) "University" means the Maharshi Dayanand Saraswati University established by and under this Act.".

6. **Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 38 of 1987.**—In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the expression "The University of Ajmer", the expression "The Maharshi Dayanand Saraswati University" shall be substituted.

जे. पी. बंसल

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur